



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-5/2023/5595/77-4-23-1372/23
लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2023
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र 'औद्योगिक विकास क्षेत्र' होगा, जिसे "बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" कहा जाएगा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रेतर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपरोल्लिखित औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं, जिसे "बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो-पदेन;	सदस्य-अध्यक्ष धारा 3(3)(क) के अधीन
(दो)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो- पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ख) के अधीन
(तीन)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ग) के अधीन
(चार)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(घ) के अधीन
(पांच)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(ड.) के अधीन
(छः)	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(सात)	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(आठ)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(नौ)	आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी-पदेन;	सदस्य धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(दस)	जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी-पदेन;	धारा 3(3)(च) के अधीन नामनिर्दिष्ट
(ग्यारह)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य सचिव धारा 3(3)(छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट

3. पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय झाँसी में होगा।

अनुसूची

जिला झाँसी के 33 ग्रामों की सूची जो “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण” में समाविष्ट होंगे।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम
1.	डगरवाहा	सदर
2.	डगरवाहा	सदर
3.	बाजना	सदर
4.	राजापुर	सदर
5.	बछौनी	सदर
6.	परासई	सदर
7.	इमिलिया	सदर
8.	अमरपुर	सदर
9.	गागौनी	सदर
10.	बदनपुर	सदर
11.	बसाई	सदर
12.	खैरा	सदर
13.	बेदौरा	सदर
14.	चमरौआ	सदर
15.	खजराहा बुजुर्ग	सदर
16.	खजराहा खुर्द	सदर
17.	मुरारी	सदर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18.	किल्चवारा बुजुर्ग	सदर
19.	मठ	सदर
20.	गुढ़ा	सदर
21.	बरुआ पुरा	सदर
22.	रमपुरा	सदर
23.	किल्चवारा खुर्द	सदर
24.	डोमागोर	सदर
25.	डोंगरी	सदर
26.	पुनावली कला	सदर
27.	गेवरा	सदर
28.	सिमरा	सदर
29.	सारमऊ	सदर
30.	कलौथरा	सदर
31.	ढिकौली	सदर
32.	कोटखेडा	सदर
33.	अम्बाबाड़	सदर

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या: 5/2023/5595(1)/77-4-23तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट, यू०पी०।
3. आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
5. जिलाधिकारी, झांसी।
6. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ उ०प्र० के असाधारण गजट दिनांक 14.09.2023 के विधायी परिशिष्ट भाग 4(ख) में प्रकाशनार्थ। गजट की मुद्रित हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति की 100-100 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाए।
7. समस्त औद्योगिक विकास प्रधिकरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जयवीर सिंह
संयुक्त सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Audyogik Vikas Anubhag-4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5595/77-4-23-1372/23 dated September 14, 2023

Notification

No 5595/77-4-23-1372/23

Lucknow: Dated: September 14, 2023

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to declare that the area comprising the villages mentioned in the Schedule below shall be an 'Industrial Development Area', to be called the "Bundelkhand Industrial Development Authority".

2. The Governor, in exercise of powers under section 3 of the aforesaid Act, is further pleased to constitute, in respect of the above mentioned Industrial Development Area, for the purposes of the said Act, an authority to be called the " Bundelkhand Industrial Development Authority" , consisting of,—

i.	the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industrial Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — <i>ex-officio</i> ;	Member- Chairman <i>Under section 3(3)(a)</i>
ii.	the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — <i>ex-officio</i> ;	Member <i>Under section 3(3)(b)</i>
iii.	the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Urban Development Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — <i>ex-officio</i> ;	Member <i>Under section 3(3)(c)</i>
iv.	the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary — <i>ex-officio</i> ;	Member <i>Under section 3(3)(d)</i>
v.	Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority — <i>ex-officio</i> ;	Member <i>Under section</i>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		3(3)(e)
vi.	Chairman, Uttar Pradesh State Power Corporation Limited — <i>ex-officio</i> ;	Member <i>Nominated under section 3(3)(f)</i>
vii.	Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam, Ex-officio;	Member <i>Nominated under section 3(3)(f)</i>
viii.	Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh Ex-officio;	Member <i>Nominated under section 3(3)(f)</i>
ix.	Commissioner, Jhansi Division, Jhansi, Ex-officio;	Member <i>Nominated under section 3(3)(f)</i>
x.	District Magistrate, Jhansi, Ex-officio;	<i>Nominated under section 3(3)(f)</i>
xi.	Chief Executive Officer, Bundelkhand Industrial Development Authority .	Member-Secretary <i>Under section 3(3)(g)</i>

3. The headquarters of the aforesaid Authority shall be at Jhansi.

SCHEDULE

List of 33 villages of district Jhansi which shall comprise the "Bundelkhand Industrial Development Authority"

S. No.	Revenue Village Name	Tehsil Name
1.	Dagarwaha	Sadar
2.	Bamer	Sadar
3.	Bajana	Sadar
4.	Rajapur	Sadar

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5.	Bachhauni	Sadar
6.	Parasai	Sadar
7.	Imiliya	Sadar
8.	Amarpur	Sadar
9.	Gagauni	Sadar
10.	Badanpur	Sadar
11.	Basai	Sadar
12.	Khaira	Sadar
13.	Baidora	Sadar
14.	Chamraua	Sadar
15.	Khajraha Bujurg	Sadar
16.	Khajraha Khurd	Sadar
17.	Murari	Sadar
18.	Kilchwara Bujurg	Sadar
19.	Math	Sadar
20.	Gudha	Sadar
21.	Barua pura	Sadar
22.	Rampura	Sadar
23.	Kilchwara Khurd	Sadar
24.	Domagor	Sadar
25.	Dongri	Sadar
26.	Punawali Kala	Sadar

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

27.	Gevra	Sadar
28.	Simra	Sadar
29.	Sarmau	Sadar
30.	Kalauthra	Sadar
31.	Dhikauli	Sadar
32.	Kotkhera	Sadar
33.	Ambabai	Sadar

By order,

(Manoj Kumar Singh)

Avasthapan evam Audyogik Vikas Ayukt.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।